जंग का असर | रसोई गैस की किल्लत और बढ़ते दामों ने तोड़ी मध्यम वर्ग की कमर

जारी है प्रवासी मजदूरों के लौटने का दौर

मुख्य स्टेशन में ट्रेनों पर चढ़ती भीड़

बिहार, बंगाल से आने वाली ट्रेनें पैक

जबलपुर, नवभारत। अमरीका इज़राइल से ईरान की जारी जंग का असर अब भारत के मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में साफ दिखने लगा है। रसोई गैस के संकट ने उद्योग से लेकर आम जनजीवन तक को हिलाकर रख दिया है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित रोज कमाने खाने वाला मजदूर वर्ग परेशान हुआ है। जो अपने गृह राज्य को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में काम कर अपना पेट भर रहे है। बीते तीन हफ्तों से बढ़े रसोई गैस के दामों ने मध्यम वर्गीय परिवारो की कमर तोड़ दी है। सोमवार को राजस्थान के कपड़ा कारखाने में काम करने वाले सूरज ने नवभारत को बताया कि कमर्शियल एलपीजी की कमी के चलते कपड़ा, मार्बल और केमिकल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार होकर घर लौटने को मजबूर हो गए है।

ट्रेनें पैक, घर पहुंचने की जल्दी

केस 1

सोमवार शाम जैसे ही हावड़ा मुंबई मेल मुख्य स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर आकर रुकी तो इसमें से मज़दूरों की भारी भीड़ जो बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल से लौट रही थी, स्टेशन पर शुद्ध पेयजल और भोजन के लिए वेंडरों पर टूट पड़ी। वही ट्रेन के छूटने के वक्त वापस चढ़ने के लिए मारामारी तक होने लगी थी।

केस 2

संघमित्रा एक्सप्रेस में सामान लेकर घुसने की जद्दोजहद में लगे श्याम सिंह ने कहा कि वह भी एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई बंद होने से ताला लग गया है। सभी मज़दूर परिवार लेकर घर लौट रहे हैं।

केस 3

जयनगर एलटीटी एक्सप्रेस में भी जबलपुर के प्लेटफार्म नंबर एक पर यही हालात दिखे ट्रेन से उतरने और चढ़ने के लिये लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। सभी लोग सामान लेकर लौट रहे थे।

केस 4

लक्ष्मण और अजय जो पुणे दरभंगा ज्ञानगंगा एक्सप्रेस के महाराष्ट्र की ओर यात्रा कर रहे थे, बताया कि वे बिहार में एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां तीन दिन पहले फैक्ट्री बंद करने की बात कहकर सबका हिसाब कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि युद्ध कब खत्म होगा पता नहीं, इसलिए सामान लेकर लौट रहे हैं।

मुस्लिम पुरुष द्वारा दूसरा विवाह करना अपराध नहीं : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष मान्य शर्तों के साथ एक से अधिक पत्नी रख सकता है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिकाकर्ता को आंशिक राहत प्रदान करते हुए उसके खिलाफ धारा 494 के तहत दर्ज की गयी एफआईआर को निरस्त कर दिया है।

जबलपुर मोहम्मद आरिफ अहमद जहांगीर खान की तरफ से ट्रायल कोर्ट के द्वारा धारा धारा 498 ए, 494, 342, 323 तथा 506 के तहत आरोप तय किये जाने को चुनौती दी गयी थी। याचिका में कहा गया था कि उसकी पहली पत्नी की शिकायत पर महिला थाना जबलपुर में उसके खिलाफ 17 जून 2022 उक्त धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। पहली पत्नी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी उनका विवाह 27 दिसम्बर 2002 को हुआ था। बच्चा पैदा नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता उसके साथ मारपीट करता था। याचिकाकर्ता ने 16 जून 2022 को रात करीब 10-11 बजे, ज़हर देकर मार डालेगा धमकी दी थी। याचिकाकर्ता ने 29 मई 2022 को दूसरी शादी कर ली और उससे आपसी सहमति से खुला यानी तलाक देने के लिए कहा। याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता से उसकी शादी 20 साल पूर्व हुई थी। इस दौरान उसने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। दूसरी शादी करने के कारण उसने मनगढ़ंत आरोप लगाया है। पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम पुरुष एक ही समय में चार पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम आदमी पाँचवीं शादी करता है, तभी उस पर सेक्शन 494 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 494 के तहत आरोप तय किये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत प्रथम दृष्टिया आरोप अपेक्षित पाते हुए ट्रायल कोर्ट को सुनवाई के आदेश दिये है।

सिस्टर ट्यूटर पद पर होने वाली नियुक्तियों के परिणाम घोषित करने पर रोक

मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में सीधी भर्ती प्रक्रिया से सिस्टर ट्यूटर के पद पर होने वाली नियुक्तियों का परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है।जबलपुर निवासी रानू हरिंखेडे सहित 30 नर्सिंग ऑफिसर की ओर से अधिवक्ता साहिल बिल्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (गैर- राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन किया है। इसके तहत सिस्टर ट्यूटर के पद पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के नियमों को कुल पदों के 10 फीसदी तक सीमित कर दिया है, जबकि सीधी भर्ती को कुल पदों के 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। पूर्व के नियम को उलटकर यह संशोधन किया गया है। पूर्व में सिस्टर ट्यूटर के 10 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से जबकि 90 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाते थे। न्यायालय को बताया गया कि याचिका लंबित रहने के दौरान मप्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने विज्ञापन जारी कर सिस्टर ट्यूटर के 218 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त अंतरिम आदेश दिये।

जादू-टोने के शक में पिता-बेटी की हत्या

हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा

जबलपुर। जादू-टोने की शंका पर पिता-बेटी की हत्या करने वाले आरोपी की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस आर एस बिसेन की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गवाहो व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सजा से दंडित करने में कोई गलती नहीं की है।

बालाघाट जिला न्यायालय के द्वारा पिता-बेटी की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ आरोपी बृजलाल परते की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। अपील में कहा गया था कि प्रकरण में मृतकों के रिश्तेदारों को गवाह बनाया गया था। उसके खिलाफ घटना का कोई गवाह नहीं है।

शासकीय अधिवक्ता की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि आरोपी बृजलाल परते की पत्नी बीमार रहती थी। उसे शंका था कि गांव में रहने वाले मंशा राम ने उसकी पत्नी पर जादू-टोना किया है। आरोपी इसी कारण से मंशा राम से दुश्मनी रखता था। आरोपी 25 जून 2014 की सुबह कुल्हाड़ी लेकर मंशा राम के घर गया था। आरोपी ने घर में घुसने के बाद कुल्हाड़ी से हमला कर मंशा राम तथा उसकी बेटी कांति बाई की हत्या कर दी।

एकलपीठ ने दस्तावेजों को अवलोकन करने के बाद पाया कि ट्रायल कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद पाया है कि आरोपी ने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। युगलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।

ननि को लगाया 20 .41 लाख का चूना, तत्कालीन राजस्व अधिकारी समेत चार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

भवनों के कर निर्धारण में कूटरचित दस्तावेजों, फर्जी शपथ पत्र से शासन को लगाई चपत

नवभारत, जबलपुर। भवनों के कर निर्धारण में कूटरचित दस्तावेजों, फर्जी शपथ पत्र के जरिए नगर निगम जबलपुर में भ्रष्टाचार हुआ बल्कि सरकारी खजाने को करीब 20.41 लाख रुपये की चपत लगाई। मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने तत्कालीन राजस्व अधिकारी समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक विजय गुप्ता ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत की जिसमें आरोप लगाया कि नगर निगम में बीस लाख रूपए की नगर निगम अधिकारी व अ न्य ने आर्थिक क्षति पहुंचाई है। शिकायत पर हुई जांच में खुलासा हुआ कि नेपियर टाउन दयानंद सरस्वती वार्ड स्थित भवन क्रमांक 509, 510 और 511 को लेकर बड़ा खेल रचा गया था। आरोपी तीरथदास नागदेव, संजना रतलानी और सुनील रतलानी ने इन भवनों को खरीदने का इकरारनामा तो किया था, लेकिन कानूनी तौर पर इसकी न तो रजिस्ट्री कराई और न ही लीज ट्रांसफर की।इसके बावजूद, आरोपियों ने खुद को उपयोगकर्ता बताते हुए नगर निगम में झूठा शपथ पत्र और स्वनिर्धारण विवरणी पेश कर दी।

हेरफेर करने 2010 का बताया निर्माण

जांच में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि दस्तावेजों में जिस निर्माण को 1964 का बताया गया था, उसे आरोपियों ने शपथ पत्र में 2010 का निर्माण बताकर पेश किया ताकि टैक्स की गणना में हेरफेर की जा सके।

अधिकारी की मिलीभगत से हुआ सत्यापन का खेल

इस पूरी साजिश में तत्कालीन राजस्व अधिकारी डॉ. दीपनारायण मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच के अनुसार, डॉ. मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना किसी भौतिक सत्यापन या दस्तावेजों के मिलान के आरोपियों द्वारा दिए गए गलत तथ्यों को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर 41,096 रुपये के टैक्स का अनुचित समायोजन भी कर दिया।

ऐसा किया फर्जीवाड़ा

जांच में यह प्रमाणित हुआ है कि बिना रजिस्ट्री और लीज नवीनीकरण कराए ही कर का निर्धारण कराने से शासन को 20,00,000 के स्टाम्प शुल्क और लीज राशि का नुकसान हुआ। कर समायोजन को मिलाकर कुल 20.41 लाख रुपये की आर्थिक हानि पहुँचाई गई।

ये बने आरोपी, कई रडार पर

ईओडब्ल्यू ने तीरथदास नागदेव, संजना रतलानी, सुनील रतलाी, दीपनारायण मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से नगर निगम के गलियारों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि विवेचना के दौरान कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं।

नो-एंट्री में घुसकर आरक्षक को पीटा, वर्दी फाड़ी, सूबेदार से झूमाझटकी

नशे में धुत कंटेनर ड्राइवर का हाईवोल्टेज ड्रामा

नवभारत, जबलपुर । माढ़ोताल थाना अंतर्गत पाटन बायपास पर नो-एंट्री में शराब के नशे में धुत होकर घुसे कंटेनर ट्रक चालक जमकर उत्पात मचाया। तेज रफ्तार ट्रक घुसाने से रोकने पर ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात यातायात आरक्षक के साथ न केवल अभद्रता की, बल्कि उसके साथ मारपीट कर वर्दी भी फाड़ डाली। इसके अलावा सूबेदार से झूमाझटकी कर दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है ।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मालवीय यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक आरक्षक राजेश कुमार, सूबेदार रोहित तिवारी के साथ पाटन बायपास पर चेकिंग और यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। दोपहर करीब 12:15 बजे नो-एंट्री में चुंगीनाका की ओर से एक कंटेनर ट्रक क्रमांक एचआर 55 एई 7143 तेज रफ्तार और लापरवाही से आता दिखा। आरक्षक राजेश ने हाथ देकर ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका।

पीछा कर रोका तो बौखलाया, नेम प्लेट टूटी, बॉडीवर्न कैमरा क्षतिग्रस्त

किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए सूबेदार रोहित तिवारी और आरक्षक ने पीछा कर ट्रक को 100 मीटर आगे घेराबंदी कर रोका। जैसे ही ट्रक रुका, चालक लक्ष्मण सिंह नीचे उतरा। आरक्षक के अनुसार, वह बुरी तरह शराब के नशे में धुत था। ट्रक रोकने से नाराज ड्राइवर ने आरक्षक से अभद्रता शुरू कर दी । जब उसे रोकने की कोशिश की गई, तो उसने आरक्षक की कॉलर पकड़ ली और मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में आरक्षक राजेश के माथे, पीठ और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान आरक्षक की नेम प्लेट टूट गई।

प्रकरण दर्ज, आरोपी गिरफ्तार, ट्रक जब्त

बादम में मौके पर मौजूद अन्य आरक्षक सानंद और स्थानीय दुकानदारों की मदद से आरोपी ड्राइवर को काबू में किया गया। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण सिंह हिरासत में लिया और कंटेनर को जब्त किया । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है ।

मुख्यमंत्री डॉ . यादव आज कृषि मंथन में होंगे शामिल

कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का करेंगे लोकार्पण

नवभारत,जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज बुधवार को अपने जबलपुर प्रवास के दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंथन 2026 में शामिल होंगे। कृषि मंथन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के नवीन प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 करोड़ रूपये की लागत से बने इस नवीन प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे। नवीन प्रशासनिक भवन का नामकरण भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक भवन के नाम पर किया गया है। विश्वविद्यालय के नये प्रशासनिक भवन के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोहानी में 1.11 करोड़ रूपये से बने गन्ना अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक भवन का, कृषि विश्वविद्यालय बालाघाट में 1 करोड़ रूपये से बने कौशल विकास केन्द्र का एवं जबलपुर में 1.26 करोड़ रूपये से बने स्वचालित तरल जैव उर्वरक उत्पादन केन्द्र का तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की 4 करोड़ 92 लाख रूपये से निर्मित चार इकाईयों का भी लोकार्पण करेंगे। कृषि मंथन के कार्यक्रम में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि के लिए राज्य स्तरीय विचार मंथन कार्यशाला भी होगी। कार्यशाला के माध्यम से तकनीकी, कौशल एवं बाजार की जानकारी का एकीकरण एवं प्राकृतिक खेती के उन्नयन के लिए एक हजार कृषि सखियों के प्रशिक्षण का शुभारंभ भी होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल, कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा करेंगे।

10 स्टार्टअप्स को 108 लाख की स्वीकृति आदेश

कृषि मंथन के कार्यक्रम में जवाहर चारा डिजिटल स्कैनर एवं कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग एप का विमोचन होगा, भारत सरकार से वित्त पोषित 10 स्टार्टअप्स को 108 लाख रूपये की स्वीकृत आदेश प्रदाय किये जायेंगे। संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना से लाभांवित होने वाले पशुपालकों को 1 करोड़ 03 लाख 35 हजार रूपये के हितलाभों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कृषि मंथन कार्यक्रम के बाद मानस भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा भटौली स्थित साकेत वाटिका भी जायेंगे।

शिक्षक पति ने चलती बाइक से नर्सिंग ऑफिसर पत्नी को फेंका, फिर एक्सीडेंट का रचा ड्रामा

शादी के बाद से कर रहे थे प्रताड़ित, सास-ससुर पर भी दहेज का मामला दर्ज

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में पदस्थ एक महिला नर्सिंग ऑफिसर को शिक्षक पति ने पहले चलती बाइक से फेंककर मारने की कोशिश की और बाद में अस्पताल में इसे महज एक सड़क हादसा बताकर पुलिस को गुमराह किया। इतना ही नहीं शादी के बाद से ही महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा था । मामले में पुलिस ने पति, सास-ससुर पर भी मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि संजीवनी नगर निवासी 38 वर्षीय श्रीमती कृष्णा नामदेव, मूलत: अशोकनगर की रहने वाली हैं, उनकी शादी 7 दिसंबर 2024 को मझगवा निवासी शिक्षक सुधीर रंजन नामदेव के साथ हुई थी। कृष्णा ने पुलिस को बताया कि शादी में उनके पिता ने सामर्थ्य अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। पति सुधीर, ससुर भरत लाल और सास रेखा नामदेव लगातार मायके से नई स्कूटी लाने का दबाव बना रहे थे। साथ ही, कृष्णा की पूरी सैलरी हड़पने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब वह मेडिकल अस्पताल की पल्मोनरी बिल्डिंग के सामने अपनी ड्यूटी पर जा रही थी, तभी पति सुधीर मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुँचा। सरेराह गाली-गलौज करते हुए उसने कृष्णा को थप्पड़ मारे और जबरन गाड़ी पर बैठा लिया।

एक्सीडेंट बताकर पुलिस को किया गुमराह

जब कृष्णा को होश आया, तो उसे पता चला कि उसके पति ने पुलिस और डॉक्टरों को झूठी जानकारी दी है। सुधीर ने लिखित में दर्ज कराया था कि यह एक सामान्य एक्सीडेंट है और घटना स्थल भी गलत बताया था ताकि वह कानूनी कार्रवाई से बच सके। स्वस्थ होने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और गढ़ा थाने पहुँचकर पूरी हकीकत बयां की। पुलिस ने आरोपी पति सुधीर रंजन, ससुर भरत लाल और सास रेखा नामदेव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

अंधमूक बायपास पर चलती गाड़ी से फेंका

आरोपी पति उसे अंधमूक बायपास की ओर ले गया और तेज रफ्तार चलती बाइक से नीचे फेंक दिया। इस जानलेवा हमले में कृष्णा के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57